न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 21 / 2020 अपील (GCMS 2020/00232)
पंजीयन दिनांक– 05 / 05 / 2020
निर्णय दिनांक– 12 / 09 / 2023

1. श्री गगारिन व्यास पिता स्व. श्यामसुंदर व्यास, निवासी 21, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर।
2. श्रीमती शालिनी पत्नि स्व. श्यामसुंदर व्यास, निवासी 21, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर।
3. श्रीमती मधु पिता स्व. श्यामसुंदर व्यास, निवासी 21, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर।
4. श्रीमती कविता पिता स्व. श्यामसुंदर व्यास, निवासी 21, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर।
5. श्रीमती रेणु पिता मदनलाल व्यास, निवासी 20, अमृत निवास, ब्रह्मपोल, उदयपुर।
6. श्रीमती शशिकला पिता मदनलाल व्यास पत्नि नवीनचन्द सुखवाल, निवासी सहारा अपार्टमेंट, फ्लेट नम्बर 409–बी, सेक्टन नम्बर 14, राजस्थान हॉस्पीटल रोड़, गोवर्धन विलास, उदयपुर।
7. श्रीमती चन्द्रकला पत्नि मदनलाल व्यास, निवास, 20, अमृत निवास, ब्रह्मपोल, उदयपुर।
8. श्री कृष्णचन्द्र पिता इन्द्रलाल, निवासी 5–ए–1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर।
9. श्री राजेन्द्र पिता इन्दरलाल (मृतक) के विधिक वारिसानः–
    1. श्रीमती ममता सुखवाल पत्नि स्व. राजेन्द्र सुखवाल, निवासी 5–ए–1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर।
    2. श्रीमती विदुषी पिता स्व. राजेन्द्र सुखवाल, निवासी 5–ए–1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर।
    3. सुश्री अनुजा सुखवाल पिता स्व. राजेन्द्र सुखवाल, निवासी 5–ए–1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर।
10. श्रीमती पुष्पा पत्नि मधुसुधन, निवासी 19–सी, मधुबन, उदयपुर।
11. श्रीमती कुसुम पत्नि श्री पुरूषोतम, निवासी 18–ए, चरक मार्ग, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर।

12. श्रीमती विद्या पत्नि प्रकाशचन्द्र सुखवाल, निवासी 329, हर्ष नगर, रामपुरा–सीसारमा रोड़, उदयपुर।
13. श्री नंदलाल पिता अमृतलाल (मृतक) के विधिक वारिसानः–
    1. श्री महेन्द्र व्यास पिता स्व. नंदलाल व्यास, निवासी 366, टिचर्स कॉलोनी, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर।
    2. श्रीमती लता सुखवाल पिता स्व. नंदलाल व्यास, पत्नि विमल सुखवाल, निवासी 38–बी, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर।
    3. श्री चंद्रेश व्यास पिता स्व. नंदलाल व्यास, निवासी 366, टिचर्स कॉलोनी, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. सुश्री लता सुखवाल पिता स्व. पुरूषोतम सुखवाल, निवासी 466, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर।
2. भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री कमलेश चौहान — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री चन्द्रशेखर आमेटा — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के
प्रकरण संख्या 23/2018 निर्णय दिनांक 10.02.2020

निर्णय

दिनांक 12/09/2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 23/2018 निर्णय दिनांक 10.02.2020 के विरूद्ध दिनांक 17.03.2020 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सुश्री लता सुखवाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार, गिर्वा के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सुश्री लता

सुखवाल की बहन श्रीमती सुशीला देवी पत्नि नर्बदाशंकर व्यास पुत्री श्री पुरूषोतम सुखवाल निवासी 446, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर के स्वामित्व एवं आधिपत्य के खातेदारी हक की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सीसारमा के आराजी नम्बर 2029 से 2044 कुल किता 16 रकबा 2.5050 हैक्टेयर लगानी 26.52 स्थित होकर सुश्री लता सुखवाल की बहन स्व. सुशीलादेवी व्यास के पति स्व. नर्बदाशंकर व्यास के नाम संवत् 2068 से 2071 की जमाबंदी में दर्ज थी। जो उन्हैं पैतृक संपत्ति में से उनके हिस्से आयी। उक्त भूमि का दानपत्र नर्बदाशंकर द्वारा सुशीलादेवी व्यास के नाम पर दिनांक 28.01.2014 को उप पंजीयक, उदयपुर के यहां निष्पादित करवाया। जिसके आधार पर नामांतरकरण दिनांक 20.07.2014 को खुला। तब से यह भूमि सुशीलादेवी व्यास के कब्जे काश्त में है। जमीन पर विद्युत कनेक्शन नर्बदाशंकर के नाम पर था जो आज भी चलता आ रहा है। विद्युत बिल सुशीलादेवी द्वारा जमा कराया जाता रहा है। उनकी मृत्यु उपरांत विद्युत बिल की राशि सुश्री लता सुखवाल द्वारा जमा करवायी जा रही है। सुश्री लता सुखवाल की बहन के कोई जायंदा औलाद नहीं थी। वह सुश्री लता सुखवाल के साथ ही निवासी करती थी। उसकी सेवा सुश्रुषा सुश्री लता सुखवाल द्वारा ही की जाती थी। उक्त भूमि की वसीयत सुशीलादेवी द्वारा अपनी मृत्यु के करीब 03 वर्ष पूर्व दिनांक 07.02.2014 को सुश्री लता सुखवाल के नाम रजिस्टर्ड करवायी, तब से सुश्री लता सुखवाल उस भूमि पर काबिज काश्त है। सुश्री लता सुखवाल की बहन की मृत्यु दिनांक 17.07.2017 को सुश्री लता सुखवाल के घर 446, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर में हुई। जिसका सारा क्रियाकर्म सुश्री लता सुखवाल द्वारा ही किया गया। वसीयत के आधार पर नामांतरकरण अपने नाम खुलवाने के लिए सितम्बर, 2017 में तहसील, गिर्वा में प्रार्थना प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 17.07.2018 को पटवारी हल्का को भेजा गया। जिस पर पटवारी को सुश्री लता सुखवाल द्वारा सारे

कागजात प्रस्तुत किये। जिस पर पटवारी द्वारा कहा कि जमीन का नामांतरकरण दो माह पूर्व ही उनके वारिसानों के नाम विरासत के आधार पर खुल चुका है। जिस पर सुश्री लता सुखवाल द्वारा सारी बात बतायी तो पटवारी द्वारा नामांतरकरण रजिस्टर बताया जिसमें मेरी बहन का विधिक वारिसान बताते हुए फर्जी व मिथ्या तरीके से शपथपत्र व प्रार्थना पत्र पारिवारिक सजरा पेश करते मेरी बहन की उक्त कृषि भूमि का नामांतरकरण विरासत के आधार पर श्री गगारिन पिता श्यामसुंदर व्यास ने अपने नाम खुलवा लिया। स्व. श्रीमती सुशीलदेवी की एकमात्र विधिक वारिसान सुश्री लता सुखववाल ही है। मेरी बहन द्वारा कृषि भूमि की पंजीकृत वसीयत मुझ सुश्री लता सुखवाल के नाम करवा रखी है। इसलिए मेरी बहन की एकमात्र विधिक वारिसान मैं ही हूं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा श्री गगारिन के नाम पर उक्त नामांतरकरण खोलते समय न तो कब्जे संबंधी कोई जांच की नही उक्त कृर्षि भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा किसका है, जिसकी जांच की। अतः सुश्री लता सुखवाल की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.05.2018 को खोले गये नामांतरकरण संख्या 6500 मौजा सीसारमा को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 23/2018 निर्णय दिनांक 10.02.2023 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा द्वारा मौजा सीसारमा का निर्णित नामांतरकरण 6500 निर्णय दिनांक 08.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः—*"अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा द्वारा मौजा सीसारमा का निर्णित नामांतरकरण*

संख्या 6500 निर्णय दिनांक 08.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुना जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर खातेदार श्रीमती सुशीलादेवी द्वारा निष्पादित अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही नये सिरे से पुनः दर्ज कर फैसल करें। निर्णय की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय पटवार हल्का सीसारमा के राजस्व ग्राम सीसारमा की मूल जिल्द नामांतरकरण की रसीदन सिपुर्द की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित है।''

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर आमेटा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 04.09.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया की अपीलांट स्व. नर्बदाशंकर के द्वितीय श्रेणी कानूनी वारिस होकर अपने आपको वारिस की हैसियत से खातेदार मालिक मानते है एवं इसी आधार पर वादग्रस्त आराजीयात राजस्व अभिलेखों में अपीलांट के नाम पर दर्ज की गयी है और सुश्री लता सुखवाल अपने आपको वसीयत के आधार पर मालिक मानती है, यानि कि स्वामित्व के बिन्दु दोनो ही पक्षों की तरफ से तय करना है एवं जो पक्षकार सफल हो वह वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार मालिक बनता है। चूंकि यह सत्य है कि अपीलांट स्व. नर्बदाशंकर

व्यास के द्वितीय श्रेणी कानूनी वारिस है जिसको कही भी साबित करने की जरूरत नहीं है, किन्तु वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है उसके संबंध में आपत्ति आने पर वसीयत जिस शख्स के पक्ष में निष्पादित की गयी है, उसको वसीयत को साबित करना है। जिसके लिय एलोब्रेट एविडेंस की जरूरत है। बिना साक्ष्य सबूत के वसीयत को साबित नहीं किया जा सकता है एवं वसीयत पर सुनने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है जो प्रकरण में वर्तमान में जैर सुनवाई है। इस वजह से जब तक दोनो पक्षकार अपने–अपने पक्ष को साबित नही कर दे तब तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील इस आशय के साथ स्वीकार योग्य है कि दोनो पक्षकर यथावत स्थिति बनाये रखे, कोई भी पक्षकार यानि अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात खातेदारी दर्ज होने से हस्तांतरण नही करें एवं रेस्पोडेंट लता सुखवाल अपने पक्ष में वसीयत होना जाहिर कर भूमि किसी को भी हस्तांतरण नहीं करें एवं दोनो पक्षकर सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तक यथावत स्थिति बनाये रखें। अतः उक्तानुसार निर्णय पारित किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि मौजा सीसारमा के आराजी नम्बर 2029 से 2044 कुल किता 16 रकबा 2.5050 हैक्टेयर लगानी 26.52 स्थित होकर सुश्री लता सुखवाल की बहन स्व. सुशीलादेवी व्यास के पति स्व. नर्बदाशंकर व्यास की मौरूसी भूमि होकर हक हिस्से आई। उक्त भूमि जरिये दानपत्र से नर्बदाशंकर द्वारा अपनी पत्नि सुशीलदेवी के नाम 28.01.2014 को हस्तांतरित कर दी। जिसका नामांतरकरण दिनांक 20.07.2014 को सुशीला देवी व्यास के नाम पर राजस्व अभिलेख में खेला जाकर दर्ज हुई। तब से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त सुशीलादेवी व्यास का ही रहा। सुशीलादेवी के कोई जायंदा औलाद नही होने से नर्बदाशकर व्यास की मृत्यु के उपरांत सुश्री लता सुखवाल के साथ ही निवास करती थी। उसकी सेवा सुश्रुषा सुश्री लता

सुखवाल द्वारा ही की जाती थी। उक्त भूमि की वसीयत सुशीलादेवी द्वारा अपनी मृत्यु के करीब 03 वर्ष पूर्व दिनांक 07.02.2014 को सुश्री लता सुखवाल के नाम रजिस्टर्ड करवायी, तब से सुश्री लता सुखवाल उस भूमि पर काबिज काश्त है। सुश्री लता सुखवाल की बहन की मृत्यु दिनांक 17.07.2017 को सुश्री लता सुखवाल के घर 446, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर में हुई। जिसका सारा क्रियाकर्म सुश्री लता सुखवाल द्वारा ही किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं नियमानुसार बताते हुए अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 10.02.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.02.2020 की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17.03.2020 को पेश की अंदर मयाद है।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी मय दस्तावेज पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से संबंधित एवं राजकीय दस्तावेज होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

- अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपने प्रकरण संख्या 23/2018 निर्णय दिनांक 10.02.2020 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा द्वारा मौजा सीसारमा का निर्णित नामांतरकरण संख्या 6500 निर्णय दिनांक 08.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को प्रदत्त निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया

जाकर दोनो पक्षों को सुना जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर खातेदार श्रीमती सुशीलादेवी द्वारा निष्पादित अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही नये सिरे से पुनः दर्ज कर फैसल करने के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17.03.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उक्त अपील से संबंधित एक अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर में प्रकरण संख्या दिवानी मूल मुकदमा 139/2022 उनवान गगारिन व्यास वगैरा बनाम लता सुखवाल वाद वसीयतनामा निरस्त कराने, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अधिदेषक आज्ञा का विचाराधीन होकर प्रार्थना पत्र बहस हेतु नियत था।

- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर उभयपक्षों का निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर में प्रकरण संख्या दिवानी मूल मुकदमा 139/2022 अनवान गगारिन व्यास वगैरा बनाम लता सुखवाल वाद वसीयतनामा निरस्त कराने, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अधिदेषक आज्ञा में उक्त विचाराधीन प्रकरण में मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कामय रखे जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णयानुसार उभयपक्ष अग्रिम कार्यवाही संपादित करेंगे। मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण में हम संलग्न करवाये जा रहे विस्तृत निर्णय के आलोक में उक्त अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर उभयपक्षों का निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर में प्रकरण संख्या दिवानी मूल मुकदमा 139/2022 अनवान गगारिन व्यास वगैरा बनाम लता सुखवाल वाद वसीयतनामा निरस्त कराने, स्थाई निषेधाज्ञा एवं अधिदेषक आज्ञा में उक्त विचाराधीन प्रकरण में मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कामय रखे जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णयानुसार उभयपक्ष अग्रिम कार्यवाही संपादित करेंगे। मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जावे।